



पुलिस थाना-कपसेठी, गोमती जोन कमिश्वरेट वाराणसी

उत्तर प्रदेश पिन नं-221403

सी.यू.जी. नं.-9454404387

ई-मेल- so-kapsethi.va@up.gov.in

प्रेस नोट

1-गिरफ्तारी/बरामदगी व अन्य सराहनीय कार्य का सम्पूर्ण घटनाक्रम – श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कमिश्वरेट वाराणसी व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्वरेट वाराणसी के निर्देशन में चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व व सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब गोमती जोन कमिश्वरेट वाराणसी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कपसेठी के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अतुल कुमार मिश्र द्वारा हमराही कर्म0गण के साथ कि आज दिनांक 07.03.23 को समय 14.30 बजे मुखबीर की सूचना पर रोशन सिंह का भट्ठा ग्राम बनौली थाना कपसेठी वाराणसी के पास से चैकिंग के दौरान 03 व्यक्तियो के पास से 45 लीटर कच्ची नाजायज देशी शराब बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. अभियुक्तगण का नाम (नाम, पता, उम्र आदि) – 1. नन्दकिशोर पुत्र तपसी नि0 मदकी थाना कस्मा जिला औरंगाबाद झारखण्ड हाल पता रोशन सिंह का भट्ठा ग्राम बनौली थाना कपसेठी वाराणसी उम्र लगभग 45 वर्ष हुलिया रंग गेहुआ ,गोल चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, आँख,नाक, कान, कद औसत

2. कृष्ण पुत्र नन्दकिशोर नि0 मदकी थाना कस्मा जिला औरंगाबाद झारखण्ड हाल पता रोशन सिंह का भट्ठा ग्राम बनौली थाना कपसेठी वाराणसी उम्र लगभग 21 वर्ष हुलिया रंग गेहुआ ,लम्बा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, आँख,नाक, कान, कद औसत

3. करन कुमार पुत्र नन्दकिशोर नि0 मदकी थाना कस्मा जिला औरंगाबाद झारखण्ड हाल पता रोशन सिंह का भट्ठा वहद ग्राम बनौली थाना कपसेठी वाराणसी उम्र लगभग 19 वर्ष हुलिया रंग गेहुआ ,लम्बा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, आँख,नाक, कान, कद औसत

3- गिरफ्तारी/ बरामदगी का दिनांक समय व स्थान – रोशन सिंह का भट्ठा ग्राम बनौली थाना कपसेठी वाराणसी

दिनांक 07.03.23 समय 14.30 बजे।

4- पंजीकृत अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है का विवरण – मु0अ0सं0 43/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

5 - बरामदगी - 45 लीटर कच्ची नाजायज देशी शराब

6- पुलिस टीम का विवरण – उ0नि0 अतुल कुमार मिश्र, उ0नि0 अतुल कुमार सिंह व का0 असरफ, का0 रामनिवास थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

7- फोटो (पुलिस टीम व बरामद माल के साथ , अभियुक्तगण व पुलिस के द्वारा मार्क धारण किया गया हो) –



8- वीडियो (पुलिस टीम व बरामद माल के साथ , अभियुक्तगण व पुलिस के द्वारा मार्क धारण किया गया हो) – संलग्न है।